

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) (6)अलेसे-III/ 8303-8344

दिनांक 6/8/2013

श्री.....
कनिष्ठ लेखाकार
.....

विषय :- द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु बकाया एपीएआर भिजवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त(राजस्व) विभाग के पत्र क्रमांक प. 14(88) वित्त/ नियम/08 दिनांक 27.7.2012 द्वारा चयनित वेतनमान/ एसीपी स्वीकृति हेतु गत नौ वर्षों की एपीएआर में से सात एपीएआर के आधार पर चयनित वेतनमान/ एसीपी स्वीकृति हेतु निर्देशित किया हुआ है।

आपके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 04में अंकित वर्षों की एपीएआर तथा कॉलम संख्या 05 में अनुसार आवेदन पत्र में अन्य कमियों की पूर्ति हेतु आवश्यक दस्तावेज तुरन्त प्रेषित करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

क्र.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मैरिट/ बैच	अनुपलब्ध एपीएआर वर्ष	अन्य
01	02	03	04	05
01.	सैयद अतहर अब्बास काजमी	11/92	08-09 से 11-12	—
02.	जनमेजय राठी	14/92	07-08 से 11-12	—
03.	श्री गिरीश कुमार शर्मा	24/92	03-04, 05-06 से 11-12	—
04.	गोविन्द राम राजपुरोहित	26/92	04-05 से 07-08 एवं 11-12	—
05.	सुभाष चन्द शर्मा	40/92	03-04, 05-06 से 11-12	—
06.	सुखाराम	50/92	03-04, 06-07 से 08-09	—
07.	मुरलीधर कुमावत	62/92	04-05 से 08-09, 10-11, 11-12	—
08.	भैरूमल जैन	63/92	04-05, 05-06, 08-09, 09-10	—
09.	डालाराम	98/92	07-08 से 11-12	—
10.	हरमुख सिंह	122/92	03-04 से 05-06	—
11.	बाबूलाल कसवा	135/92	04-05 से 07-08, 09-10	—
12.	श्रीकिसन पुरोहित	149/92	04-05, 08-09, 09-10	आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं
13.	प्रताप सिंह वर्मा	160/92	05-06 से 11-12	—
14.	गणपतलाल	161/92	06-07 से 11-12	—
15.	पुष्पेन्द्र पंचौली	171/92	08-09 से 11-12	—
16.	दिनेश कुमार खत्री	177/92	04 -05, 09-10, 10-11, 11-12	—
17.	ओमप्रकाश रियाड	180/92	04-05 से 11-12	—
18.	कैलाश चन्द यादव	189/92	06-07, 08-09 से 11-12	—
19.	राजेन्द्र सिद्धावत	244/92	06-07 से 11-12	—
20.	किस्तूराम मेहरिया	269/92	05-06 से 11-12	—
21.	वेद प्रकाश आसीजा	329/92	08-09 से 11-12	—
22.	फूलचंद नागर	344/92	03-04, 05-06 से 10-11	—
23.	दिनेश कुमार गहलोत	348/92	03-04, 04-05, 06-07	—
24.	नारायण प्रकाश व्यास	350/92	06-07 से 09-10	—
25.	भैरों सिंह सोलंकी	351/92	05-06 से 10-11	—
26.	हंसराज आसीवाल	399/92	05-06, 08-09 एवं 09-10	—
27.	नवल किशोर पारीक	402/92	04-05 से 10-11	—
28.	राजेन्द्र कुमार जोशी	405/92	03-04 से 10-11	—
29.	धारा राम	413/92	05-06, 07-08, 10-11 एवं 11-12	—

क.स.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	मैरिट/ बैच	अनुपलब्ध एपीएआर वर्ष	अन्य
30.	मंगतराम	422/92	06-07 से 09-10	—
31.	संजय माथुर	424/92	08-09 से 10-11	—
32.	बृज लाल बैरवा	425/92	03-04, 04-05, 07-08 से 11-12	—
33.	बद्री प्रसाद	435/92	03-04, 06-07 एवं 08-09	—
34.	गुणेश	463/92	09-10 से 11-12	—
35.	जितेन्द्र सिंह भाटी	465/92	03-04 से 09-10	—
36.	सुहैल अहमद	480/92	07-08 से 09-10	—
37.	जगदीश प्रसाद	526/92	03-04 से 11-12	—
38.	दिनेश कुमार	528/92	04-05 से 10-11	—
39.	समीर सक्सैना	डीजीएस 92	—	निर्धारित प्रपत्र में आवेदन नहीं
40.	पुरुषोत्तम लाल पंचोली	डीजीएस 92	05-06 से 08-09	निर्धारित प्रपत्र में सूचना नहीं
41.	शैलेन्द्र शर्मा	डीजीएस 92	03-04 से 05-06, 07-08, 08-09	

संलग्न - आवेदन पत्र प्रारूप

क्रमांक:- एफ.4(ई) (एसीपी 92)अलेसे-III/ 8303-8344
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपनिदेशक, एसीपी वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)
दिनांक 6/8/2013

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-II)

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) वित्त/नियम/2008-I&II दिनांक 31.12.09 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र में पद कार्यालय एतद् द्वारा घोषणा करता/करती है कि :-

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या थी:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

हस्ताक्षर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर
नाम
पद
नैसर्ग संख्या
वर्तमान विभाग

सन्तोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद मैरिट संख्या ने उक्त घोषणा पत्र मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक को पूर्वाह्न/अपराह्न में कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक को देय हो गया है तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं 31.12.2009 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुये यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जॉन लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में इनके कोई दण्ड नहीं दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे)
- सेवा पुस्तिका के अनुसार इनके ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सात वर्षों से नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं तथा इनके संयाये संतोषजनक है।
- इनको प्रथम पदोन्नति पद पर दिनांक को, द्वितीय पदोन्नति पद पर दिनांक को, तथा तृतीय पदोन्नति पद पर दिनांक को मिली है।
- इनको पदोन्नति प्रथम/द्वितीय/तृतीय ही मिली है।
- इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर को दिनांक को फोरगो किया है।
- इनको पदोन्नति फोरगो नहीं की है।
- ये पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन श्रृंखला में पे बैंड में दिनांक से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। (प्रति संलग्न करें)
- इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि है।
- 20 जनवरी 2005 को या इसके पश्चात् नियुक्त परीक्षार्थी प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) नियम 7 (30 A) ने यदि 90 दिन से अधिक की E.O.L. ली है तो E.O.L. की अवधि दिनांक से तक है।
- कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला में अन्य सरकारी विभाग में की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण नये सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति के (संपादित दिनांक 31.12.2009 II (iii))
- इनके प्रथम चयनित वेतनमान निर्देशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. निर्देशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत की जा चुकी है। (आदेश प्रति संलग्न करें)

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर